छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27/09/2017

क्रमांक एफ 7–4/सात–1/2015(पार्ट) राज्य शासन ,एतद्द्वारा , संविधान की राज्य सूची के विषय क्रमांक–18 (भूमि अंतरण) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 7–4/सात–1/2015 दिनांक 30 मार्च, 2016(प्रकाशित छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2016) द्वारा जारी **"आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016"** में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नीति में, –

उक्त नीति की कण्डिका–2 की उप–कण्डिका 6 में शब्द **"उपरोक्तानुसार भूमि मूल्य निर्धारण के बाद प्रत्येक विक्रेता परिवार को 5.00 लाख (पांच लाख) रूपये पुनर्वास अनुदान के रूप में पृथक से दिया जावेगा"**, के स्थान पर, शब्द **"प्रत्येक विक्रेता परिवार (खाते) को भूमि मुआवजा के अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान के रूप में इतनी राशि प्रदान किया जावे जो भूमि के मुआवजा का 50 प्रतिशत के बराबर, जो अधिकतम 5.00 लाख (पांच लाख) रूपये होगी ।"**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

27/9
(पी.निहालानी)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

27 SEP 2017

पृ0क्रमांक एफ 7–4/सात–1/2015(पार्ट) नया रायपुर, दिनांक सितम्बर, 2017

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, छ0ग0शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
2. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
3. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर मंत्रिपरिषद(आयटम क्रमांक 68.7) दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के संदर्भ में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, छ0ग0शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय,नया रायपुर
5. छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभाग
6. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
7. समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़
8. सचिव, छ0ग0राजस्व मण्डल बिलासपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग